प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)

मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,

एकेडमी ऑफ मॉडर्न लर्निंग,

गुन्नौर, जिला सम्भल।

पत्रांक संख्या शि0स0 / 1740 / दिनांक 17/12/13

विषयः—जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षण वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 28.11.2013 में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा 646 / 15–6–97–18 एस (7) 89 / शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धी के साथ आपके विद्यालय को जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्धः—

1) विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी, जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तें पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता में परिवर्तित नहीं करा ली जाती।

2) प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजजऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।

3) विद्यालय में छात्रों के चरित्र निर्माण से सम्बन्धित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्रति के लिये जारी शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये।

4) समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।

5) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवन शुल्क / कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।

6) मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक / शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान, मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक / शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे हैं।

7) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व सहमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा।

8) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

9) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।

10) विद्यालय मे समस्त प्रशिक्षित अध्यापक / अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितो को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

12) विभागीय आदेशो का पालन किया जाये।

13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक / अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।

14) विद्यालय कर निरीक्षण शिक्षा के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।

15) विभागीय आदेशों / नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।

16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे हैं वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप **20x25** की माप के कक्षों का निर्माण कराये।

भवदीय,

17/12/13

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।

पृ0सं0 शि0स0 / / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र. इलाहाबाद।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. इलाहाबाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल।
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल।
5. शिक्षा अधीक्षक / अधीक्षका नगर क्षेत्र,
6. क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,

MANAGER
Academy Of Modern Learning
Gunnaur (Sambhal)

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।

PRINCIPAL
Academy Of Modern Learning
Gunnaur (Sambhal)